उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0 सी– 07 /तक0प्र0/ 19–2020 दिनॉक 10-4-19

"अति आवश्यक"

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
उत्तर प्रदेश।

विषय–डेयरी उद्यमिता विकास योजना व अन्य अनुदानित योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त/अन्तिम किश्त के भुगतान के सम्बन्ध मे।

कतिपय शाखाओ द्वारा डेयरी उद्यमिता विकास योजना एवं अन्य अनुदानित योजनान्तर्गत तथा साधारण योजनाओ में किए गये ऋण वितरण के सापेक्ष द्वितीय व अन्तिम किश्त के भुगतान हेतु धन की मॉग इस आशय से की जा रही है, कि लाभार्थियो का प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाये, और नाबार्ड/ शासन द्वारा देय अनुदान के अवमुक्त होने में अनावश्यक व्यवधान न होने पाये। उक्त के संदर्भ में पूर्व मे बैंक के परिपत्र सं0 सी–03/तक0प्रको0/2018–19 दि0 05.04.18 द्वारा भी डेयरी उद्यमिता विकास योजना मे लाभार्थियो को वितरित की गई अनुदानित योजनाओ मे प्राथमिकता के आधार पर प्रथम किश्त भुगतान के उपरान्त निर्धारित समयान्तर्गत नियमानुसार अन्तिम किश्त का ऋण वितरण कर प्रोजेक्ट पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। परन्तु कतिपय शाखाओ द्वारा उक्त को ध्यान में न रखते हुए नवीन योजनाओ में ऋण वितरण किया जा रहा है तथा अनुदानित योजनाओ हेतु द्वितीय किश्त व अन्तिम किश्त के भुगतान हेतु मुख्यालय से धनराशि की मॉग की जा रही है।

अत उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में किसी भी योजना में दी गई ऋण की प्रथम किश्त के सापेक्ष निर्धारित समयान्तर्गत अन्तिम किश्त (द्वितीय/तृतीय) के भुगतान होने एवं प्रोजेक्ट पूर्ण होने तक किसी नये लाभार्थी को किसी भी योजना में ऋण वितरण न किया जाये, तथा यथासम्भव अगली किश्त के भुगतान हेतु मुख्यालय से धनमॉग न की जाये, साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि धनाभाव की स्थिति में धन मॉग हेतु पत्राचार सीधे लेखा अनुभाग से ही किया जाये।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– सूचनार्थ हेतु प्रेषित–
(1) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0 का0 को सूचनार्थ।
(2) समस्त जनपदीय प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(3) उप महाप्रबन्धक (कम्प्यू0),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई–मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। एवं उक्त योजनान्तर्गत बैंक की शाखाओ से प्राप्त सूचनाये अविलम्ब महाप्रबन्धक (तक0) के आईडी पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक(तकनीकी)